5 रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

(106)

अपील 1548-II-15

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, कैम्प उज्जैन

प्र. क्र.

1. शकुन्तला पत्नि हेमसिंह जी पिता मुरलीसिंह जी
जाति राजपूत, निवासी दर्जीपाडा जैसलमेर (राज.)

2. राजेन्द्रसिंह पिता/दत्तक पुत्र मुरलीसिंह जी
जाति राजपूत, निवासी दर्जीपाडा जैसलमेर (राज.) --- अपीलार्थी

विरूद्ध

1. शम्भुसिंह परिहार पिता मंगलसिंह जी राजपूत
निवासी- सरदार मोहल्ला नीमचसिटी

2. खुमानसिंह परिहार पिता मंगलसिंह जी जाति राजपूत
निवासी सरदार मोहल्ला नीमचसिटी, जिला नीमच

3. श्रीमति रेखा दक पति डा. रमेश दक,
निवासी- विकास नगर 14/3 नीमच, जिला नीमच

अपील अंतर्गत धारा 44(2) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

सेवा में अपीलार्थी की ओर से यह अपील अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन, संभाग उज्जैन द्वारा पारित दिनांक 20.04.15 के क्रमांक 645/अपील/2011-12 से असंतुष्ट होकर श्रीमान के न्यायालय में निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

A.1548-PBR/15 (नीमच)

17.8.2017	आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। इस न्यायालय में यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 20.4.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो कि तीसरी अपील है। म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत तीसरी अपील ग्राह्य योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है।
[illegible]	[illegible] अध्यक्ष

रा०म०प्रा०—355—प्रो० [illegible]—3-2-16—30,000 प्रपत्र.